

28/12/2023

आज मह. प्रार्थना फ. 212

R.T.A. कापीलप रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। वकील वकील उपस्थित। वकील वकील की एक पक्षीय बहस सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र का अपलोड किया गया। वकील प्राची की बहस एवं पक्षीय के अपलोड से प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित होता है, कुर्विया का सतलन प्राची के पक्ष में है तथा प्राची को वापस होने वाली क्षति की पूर्ण सम्पादन है।

अतः अध्यायी निषेधाज्ञा चन्दरीजा से अप्राथमिक को दिनांक 23/01/24 तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी हाल ख. नं. 570 रकबा 0.16 हे. का काम खोड़ी तह. बहरोड़ में किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण ना करे। किसी विगार व्यक्ति को रहना-बैठना-दिखा से मुनाकेल ना करे। मौके एवं रिमांड की प्रथा स्थिति बनाये रखे।

क्यों ना यह आदेश ताफैसला दावेतक सम्पुष्ट कर दिया जावे। अप्राथमिक कोई भी उज्र रखते हो तो धाजेर अदालत आकर पेश करें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्राथमिक की जर्ने सम्पन तलवी हो कर फावली दिनांक 23/01/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0